न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 57 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बशीर खां पुत्र रसूल खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी झुझण्डा तहसील मूण्डवा जिला नागौर		1. बाबू पुत्र जलालुदीन जाति खेरादी (मुसलमान) निवासी प्रतापनगर जोधपुर। 2. रफीक खां पुत्र भंवरू खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी झुझण्डा तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी एंव अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

निर्णय दिनांक : 05/03/2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन जाति मुसलमान निवासी मूण्डवा के विरूद्ध तत्कालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार नागौर ने अतिक्रमी मानते हुए उनके विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करते हुए प्रकरण संख्या 493/78 दर्ज किया एंव उक्त प्रकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जलालुदीन के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट में अतिक्रर्मी मानते हुए उनके प्रार्थना पत्र पर उनके पक्ष में मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि की आंवटन हेतु सिफारिश की गई। जिस पर एसडीओ नागौर व सलाहकार समिति नागौर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 24.10.1979 को भरा गया एंव गैर खातेदार के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया व जलालुदीन के फौत होने पर फौतगी म्युटेशन संख्या 833 दिनांक 15.05.2000 को भरा गया, जो दिनांक 08.06.2000 को स्वीकृत किया गया, बाबु पुत्र जलालुदीन द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत अपर जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष एक म्युटेशन अपील प्रस्तुत की, जो म्युटेशन अपील कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर खारिज की गई एंव उसके बाद गैर खातेदारी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आंवटन के 37 वर्षो बाद जलालुदीन के पुत्र बाबू ने एक राजस्व वाद अधीन धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर में राजस्व वाद संख्या 02/2016 बअनवान बाबू बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व वाद दिनांक 15.07.2016 को खारिज किया गया एंव उक्त खारिज वाद को आधार मानकर तहसीलदार मूण्डवा ने दिनांक 14.10.2016 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2322 भरा जाकर दिनांक 19.12.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त आंवटन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई है।

मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा का आंवटन गलत रूप से तथा तत्कालीन पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर व बिना काश्त के तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलावट कर गलत रूप से बिना किसी कब्जे काश्त के आंवटन कपट एंव मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा

प्राप्त किया गया था, जबकि उक्त भूमि कभी भी काश्त के रूप में काम में नहीं ली गई एंव आंवटन की नियमों व शर्तो के मुताबिक वक्त आंवटन काश्त होनी अनिवार्य है एंव आंवटन के प्रथम वर्ष कुल भूमि का 50 प्रतिशत व दूसरे वर्ष शेष 50 प्रतिशत पर काश्त अनिवार्य है, जबकि उक्त मामले में संवत् 2036 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जलालुदीन के नाम गैर खातेदारी में आंवटन हुआ, उस वर्ष व उससे पूर्व इनकी काश्त दर्ज नहीं है एंव आंवटन के अगले वर्ष भी काश्त शून्य है इससे यह साबित है कि आंवटी का मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, मात्र तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलावट कर कपटपूर्वक तरीके से नियमों के विरूद्ध आंवटन मिलावट कर गैर खातेदारी दर्ज करवा ली है, जो आंवटन निरस्त किये जाने योग्य है।

आंवटन की शर्तो के मुताबिक उक्त भूमि पर आंवटी का कब्जा काश्त नियमित रूप से होना अनिवार्य है, जबकि उक्त भूमि पर कभी भी आंवटी का कब्जा काश्त नहीं रहा एंव उक्त भूमि पर आज से 60 वर्षो से अधिक पुरानी खाने बनी हुई है एंव उक्त खाने आज दिन मृत पशु डालने के काम में ली जा रही है जबकि तत्कालीन पटवारी हल्का व वर्तमान पटवारी हल्का ने उक्त खानों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में हवाला तक नहीं दिया, जिससे साबित है कि आंवटन मिलावट कर आंवटी को फायदा पहुंचाने की नियत से छलपूर्वक ढंग से आंवटन किया है। उक्त आंवटन खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा आबादी के नजदीक होने के उपरान्त भी तत्कालीन पटवारी हल्का ने अवैध व विधि विरूद्ध तरीके से मिलावट कर आंवटन की शर्तो के मुताबिक आबादी से चिपते भूमि का आंवटन कृषि भूमि हेतु नहीं होने के उपरान्त भी छल एंव कपटपूर्वक तरीके से गलत रिपोर्ट के आधार पर आंवटन बिना काश्त व आबादी के चिपते होते हुए भी आंवटन कर दिया, जो कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के विरूद्ध होते हुए भी विधि विरूद्ध तरीके से तत्कालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर आंवटन कर दिया, जो शुरू से ही अवैध व विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

आंवटी जलालुदीन का पुत्र बाबू जिसने अपने आपको ग्राम झुझण्डा का निवासी बताकर गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया, जबकि बाबू पुत्र जलालुदीन कभी भी ग्राम झुझण्डा में नहीं रहा, अपितु जोधपुर निवास करता है, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.2016 को देखने से भली भांती साबित है एंव जलालुदीन की मृत्यु सन 1990 संवत् 2047 में हुई एंव उसके बाद उसका पुत्र कभी भी ग्राम झुझण्डा में निवास नहीं किया एंव न ही कभी उक्त भूमि पर काश्त की, उपरोक्त तथ्य राजस्व वाद में प्रतिवादी नायब तहसीलदार मूण्डवा के जवाब में भली भांती स्पष्ट होने के बावजूद भी गैर खातेदारी से खातेदारी जानबूझकर दर्ज कर दी, जबकि मौके पर भूमि काश्त के लिए उपयुक्त ही नहीं है एंव वर्षो पुरानी खाने बनी हुई है, जिनमें आज दिन ग्राम झुझण्डा के मृत पशु डालने के उपयोग व उपभोग में ली जा रही है, इसके उपरान्त भी जलालुदीन के पक्ष में आंवटन कर दिया एंव उक्त विधि विरूद्ध किये गये आंवटन को आधार मानकर गैर खातेदारी से दिनांक 14.10.2016 को बिना कब्जे काश्त के ही तहसीलदार मूण्डवा ने खातेदारी दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 2322 भर दिया, जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज होने के लिए भूमि पर नियमित रूप से काश्त आवश्यक है, लेकिन तहसीलदार मूण्डवा ने उपरोक्त सारी बातो को गौण करते हुए अवैध रूप से खातेदारी दर्ज करने के आदेश देकर नामान्तरकरण भी भर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

आंवटी जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन की मृत्यु 1990 में होने के बावजूद भी ग्राम झुझण्डा के कुछ लोगो द्वारा उक्त भूमि हडपने की नियत से सन 2000 में फौतगी म्युटेशन संख्या 833 जो जलालुदीन के पुत्र बाबू को बुलाकर व प्रलोभन देकर भरवाया गया, क्योंकि उक्त भूमि आबादी भूमि के चिपते स्थित है एंव उक्त भूमि में ग्राम झुझण्डा के कुछ लोगो द्वारा प्लोट काटकर बडा लाभ कमाने की मंशा से दिनांक 13.01.2016 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 02/2016 बअनवान बाबू बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा दर्ज करवाया गया एंव पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में उक्त लोग गवाह भी बने एंव एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार करवाई गई फिर भी कब्जा काश्त नहीं होने के उपरान्त व राजस्व वाद 15. 07.2016 को खारिज होने के उपरान्त भी तहसीलदार मूण्डवा ने गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर नामान्तरकरण भर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि बिना कब्जा काश्त होते हुए भी तहसीलदार मूण्डवा ने खातेदारी दर्ज कर दी, इस कारण भी जैर अपील आंवटन आदेश काबिल खारिज किये जाने योग्य है। आंवटी जलालुदीन के पुत्र के पक्ष में उपरोक्त भूमि गैर खातेदारी से

कलक्टर, नागौर

खातेदारी में दर्ज करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 2322 दिनांक 19.12.2016 तहसीलदार मूण्डवा द्वारा स्वीकृत करने के बाद दिनांक 23.01.2017 को उपरोक्त भूमि का बेचान रफीक खां पुत्र भंवरू खां जाति मुसलमान निवासी झुझण्डा के पक्ष में कर दिया, जबकि इस प्रकार के आंवटन से प्राप्त हुई कृषि भूमि का बेचान खातेदारी दर्ज होते ही नहीं सकते, क्योकि इस प्रकार खातेदारी दर्ज होते ही किया गया बेचान के आधार पर आंवटी या उनके वारिस को भूमिहीन कृषक नहीं माना जा सकता एंव आंवटन शुरू से ही कपटपूर्वक तरीके से प्राप्त किया गया होने से व बाद खातेदारी मिलते ही बेचान नहीं करने की शर्ते कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के विरूद्ध होने से आंवटन आदेश खारिज होने योग्य है।

आंवटी जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन की मृत्यु 1990 में होने के बाद सन 2000 में उसके वारिस बाबू पुत्र जलालुदीन के नाम फौतगी म्युटेशन भरा गया, जिस पर बाबू पुत्र जलालुदीन ने एक म्युटेशन अपील गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत अपर जिला कलक्टर नागौर के समक्ष पेश की, जो बिना कब्जा काश्त के आधार पर उक्त अपील अपर जिला कलक्टर नागौर ने खारिज फरमाई गई। इससे भी साबित है कि आंवटी व उसके वारिस का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा एंव आंवटन छलपूर्वक ढंग से मिलावट कर करवाया गया जो काबिल खारिज होने योग्य है।

मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा पर धोखे व छल से बिना किसी कब्जा काश्त के आंवटन करवा लिया एंव पूर्व आंवटी जलालुदीन की मृत्यु 1990 में होने के पश्चात् सन 2000 में उसके वारिस बाबू द्वारा अपने नाम फौतगी म्युटेशन संख्या 833 भरवाया गया एंव म्युटेशन गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज करवाने बाबत पटवारी हल्का झुझण्डा द्वारा दिनांक 31.10.2001 को म्युटेशन संख्या 896 दर्ज कर जांच की गई, जिससे पटवारी हल्का झुझण्डा, आर.आई व तत्कालीन एसडीओ कुन्तल साहब व अन्य अफसरान द्वारा मौके के सम्पूर्ण हालात उक्त म्युटेशन संख्या 896 में दर्ज किये गये, जिससे आंवटी व आंवटी के पुत्र बाबू का उक्त भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होना मानकर व मौके पर मृत पशु डालने का हड्डी खोडा होने व कुछ भूमि पत्थरीली पडत की होने तथा कुछ भूमि अन्य व्यक्तियों के खेतो में दबी होने व मौके पर आंवटी जलालुदीन व उसके वारिस बाबू का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने का आधार मानकर म्युटेशन संख्या 896 दिनांक 31.10.2001 को बाद सम्पूर्ण जांच के खारिज कर दिया गया, जिसको छुपाते हुए अभी हाल ही में गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाकर बिना कब्जे काश्त के बेचान भी कर दिया एंव खरीददार मोहम्मद रफीक उक्त भूमि पर कब्जा कर उसमे परिवर्तन करने व आबादी के चिपते स्थित होने से प्लोट काटकर आगे बेचान करने पर आमादा होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आंवटन आदेश दिनांक 24.10.1979 खारिज किये जाने का आदेश फरमाते हुए खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा मौजा झुझण्डा की भूमि राजकीय भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाने व आंवटन के पूर्व की राजस्व रेकर्ड की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने स्वंय की बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2005(1) पेज 83–86, आर. आर.टी. 2013(1) पेज 192–194, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1071–1073, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 1273–1275, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 117–123, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 1422–1424 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकील अप्रार्थी श्री भवरलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा बाराणी दोयम का आवंटन उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जलालुदीन का कब्जा होने की संवत् 2036 से 2062 तक की गिरदावरियों से होने पर विधि अनुसार मौके की स्थिति की जॉच करके स्वीकार करके एस.डी.ओ. व सलाहकार समिति नागौर द्वारा 24.10. 1979 को आवंटन किया गया है, किसी प्रकार के फ्रोड या मिसरिप्रजन्टेशन के आधार पर नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर कभी भी आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने एवं उक्त भूमि पर आज दिन से 60 वर्षो से अधिक पुरानी खाने बनी हुई होने का प्रार्थी का कथन गलत है। बल्कि उक्त भूमि पर पहले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उक्त भूमि विक्रय के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा कास्त है। उक्त जमीन कभी भी मृत पशुओं को डालने के काम नहीं ली जाती रही है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष की गई शिकायत के आधार जो रिपोर्ट पटवारी हल्का ने प्रार्थी रफीक खां की मौजूदगी में बनाई थी, उससे भी होती है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व उससे पहले उसके पिता का कब्जा काश्त व उसका मकान होना स्वीकार किया गया है।

अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उक्त आवंटन खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा आबादी के नजदीक होने के उपरान्त भी पटवारी हल्का ने मिलावट कर आवंटन की शर्तों के मुताबिक आबादी से चिपते भूमि का आंवटन कृषि भूमि हेतू नहीं होने के उपरान्त भी छल व कपटपूर्वक तरीके से गलत रिपोर्ट के आधार पर आंवटन बिना काश्त व आबादी के चिपते होते हुए भी आंवटन कर दिया हो। बल्कि उक्त भूमि बारानी दोयम थी जो कृषि योग्य भूमि थी इसलिये इसका आवंटन किया गया है जो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर किया गया है। यह कथन भी गलत है कि उक्त आंवटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के विरूद्व होते हुए भी अवैध व विधि विरूद्व तरीके से तत्कालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया आवंटन शुरू से ही अवैध व विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य हो। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का यह कथन गलत है कि, आवंटी जलालुदीन का पुत्र बाबू कभी भी ग्राम झूझण्डा में नहीं रहा हो और जोधपुर निवास करता हो। बल्कि बाबु झुझण्डा का निवासी है तथा उसके द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का वाद सही पेश किया गया था। यह कथन गलत है कि, जलालुदीन की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र ने झूझण्डा में निवास नहीं किया हो और न ही उक्त भूमि पर कभी काश्त रहा हो। यह कथन भी गलत है कि, मौके पर भूमि काश्त के लिये उपयुक्त नहीं हो और वर्षो पुरानी खाने बनी हुई हो जिनमें आज दिन ग्राम झुझण्डा के मृत पशुओं को डालने हेतू उपयोग व उपभोग में ली जा रही हो और इसके बावजूद जलालुदीन के पक्ष में आवंटन कर दिया हो। बल्कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि थी जिसके पुष्टि गिरदावरीयों से होती है। वास्तव में अपीलांट बशीर खां रेस्पोडेंट संख्या 2 का चाचा है जिसने वादग्रस्त भूमि के एक कोने पर अवैध रूप से नाजायज कब्जा कर बाड़ा बना रखा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा कब्जा छोड़ने का कहने पर उसने बदनियती से रेस्पोडेंट संख्या 2 को तंग व परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा काश्त था इसलिये उसके नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया था। यह कथन गलत है कि, उक्त आवंटन गलत व विधि विरूद्व किये गये आवंटन को आधार मानकर गैर खातेदारी से दिनांक 14.10.2016 को बिना कब्जा काश्त के ही तहसीलदार मुण्डवा ने खातेदारी दर्ज कर नामान्तरकरण भर दिया हो।

अपीलांट का यह कथन भी गलत है कि, उक्त भूमि को हड़पने की नियत से सन् 2000 में फौतगी म्यूटेशन जलालुदीन के पुत्र बाबु को बुलाकर व प्रलोभन देकर भरवाया गया हो। यह कथन भी गलत है कि, उक्त भूमि आबादी के चिपती होने से ग्राम झूझण्डा के कुछ लोगों द्वारा प्लॉट काटकर बड़ा लाभ कमाने की मंशा से दिनांक 13.01.2016 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतू राजस्व वाद पेश किया हो। यह कथन भी गलत है कि, कब्जा काश्त नहीं होने के व राजस्व वाद खारिज होने के उपरान्त तहसीलदार मूण्डवा ने गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर नामान्तरकरण भर दिया हो। बल्कि उक्त भूमि पर दिनांक 23.01.2017 के पूर्व जलालुदीन व उसके पुत्र बाबु खां का कब्जा होना व सहायक कलक्टर, नागौर के आदेश पर तहसीलदार मुण्डवा द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश किया गया हैं जो सही है। यह कथन गलत है कि, बिना कब्जा काश्त के खातेदारी दर्ज कर दी हो। यह कथन गलत है कि, अवैध व विधि विरूद्व आदेश पारित किये गये हो। बल्कि अपीलांट ने अपील मिथ्या तथ्यों के आधारों पर पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का यह कथन गलत है कि, आवंटन से प्राप्त हुई कृषि भूमि का बेचान खातेदारी दर्ज होते ही नहीं कर सकता हो। यह कथन भी गलत है कि, बेचान के आधार पर आंवटी या उनके वारिसान को भूमिहीन कृषक नहीं माना जा सकता हो और आवंटन शुरू से ही कपटपूर्वक तरीके से प्राप्त किया गया हो। बल्कि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का कब्जा काश्त था और उसके नाम उक्त भूमि का आवंटन किया गया था ओर गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा 40 वर्षो से भी अधिक समय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उससे पूर्व उसके पिता का कब्जा काश्त रहता चला आया था, तत्पश्चात् अपनी जायज जरूरत के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि का बेचान किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलांट का यह कथन गलत है कि, बिना कब्जा काश्त के आधार अपील खारिज की गई हो। यह कथन भी गलत है कि, आवंटी व उसके वारिस का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा हो और आंवटन छलपूर्वक ढंग से मिलावट कर करवाया गया हो। बल्कि आंवटन प्रक्रिया विधि अनुसार

मौके की स्थिति की जांच करके किया गया है जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन/ अपील पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का यह कथन गलत है कि, मौजा झूझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा बारानी दौयम पर धोखे व छल से बिना किसी कब्जा काश्त के आवंटन करवा लिया हो। बल्कि अपीलांट ने आवेदन के पैरा 8 में स्वयं जलालुदीन को आवंटी माना है। इसका तात्पर्य यही है कि, आंवटन समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन किया गया था। यह कथन गलत है कि, पूर्व आंवटी जलालुदीन की मृत्यु होने के पश्चात् भरे गये म्यूटेशन में आवंटी व आवंटी के पुत्र बाबू का उक्त खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होना मानकर खारिज किया गया हो। बल्कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व रेस्पोडेन्ट की जानकारी के बिना अपीलांट व अन्यो के सिखावे में आकर की गई थी। यह कथन गलत है कि, उक्त भूमि मृत पशुओं के डालने का हड्डी खोड़ा हो बल्कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई हड्डी खोडा नहीं है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रहवासीय ढाणी उक्त जायंगा में बनी होना स्वीकार किया गया है। यह कथन भी गलत है कि कुछ पत्थरीली पड़त की होने व कुछ भूमि अन्य व्यक्तियो के खेतों में दबी होने व मौके पर आवंटी जलालुदीन व उसके वारिस बाबु का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के आधार मानकर म्युटेशन संख्या 896 को सम्पूर्ण जांच के बाद खारिज किया गया हो। बल्कि उक्त म्यूटेशन के दौरान रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया था। इसके अलावा उसके कथनानुसार भी अपीलांट स्वयं व्यथित व प्रभावित पक्षकार भी नहीं है और किसी अन्य काश्तकार ने कोई अपील पेश नहीं की है। यह कथन गलत है कि, तथ्य छुपाते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाकर बिना कब्जा काश्त के बेचान कर दिया हो और वह प्लॉट काटकर आगे बेचान करने पर आमादा हो। बल्कि अपीलांट ने केवल मात्र कयास के आधार पर बेचान करने पर आवेदन/ अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। यह कथन गलत है कि, मृत पशुओं को डालने की जगह को लेकर ग्राम झूझण्डा के समक्ष समस्या खड़ी होने वाली हो बल्कि अपीलांट स्वयं रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हड़प करने पर आमादा है। इसलिये उसने मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

खसरा नम्बर 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा बाराणी दौयम मौजा झूझण्डा तहसील मूण्डवा काबिल काश्त भूमि थी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जलालुदीन का पुराना कब्जा था जलालुदीन एक भूमिहीन काश्तकार था। इसलिये उसके हक में उक्त राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अनुसार नियमन/ आवंटन करके उक्त भूमि का जलालुदनी के नाम नामान्तरकरण दिनांक 24.10.1985 को भरा जाकर स्वीकृत किया गया था। तत्कालीन नियमों के अनुसार 10 वर्ष के पश्चात् आवंटी को स्वतः ही गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करना समक्ष अधिकारी द्वारा लाजमी था। मगर उन्होंने लापरवाही वंश अपने उक्त कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया मगर इससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जलालुदीन अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हक समाप्त नहीं हो जाता है। अब तो नियम 14(1) के अनुसार तीन साल के पश्चात् भी खातेदारी दर्ज कर दिया जाता हैं जलालुदीन आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज था और उसने उक्त भूमि पर अपने रहवास व फसल की निगरानी के लिये एक ढाणी भी बना रखी थी जो आज दिन भी मौजूद हैं। जिसकी पुष्टि निरिक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.03.2017 से होती है। चूंकि इस क्षेत्र में खेती वर्षा पर निरभर करती है इसलिये वर्षा नहीं होने पर बाराणी क्षेत्र के कोई काश्तकार फसल नहीं बो सकते तथा कई बार जमीन की उपजाउ क्षमता बढ़ाने के लिये भी कुछ वर्ष के लिये भूमि को बिना काश्त के रखना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है कि, आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अथवा इसके पिता ने उक्त भूमि पर काश्त नहीं की हो। प्रार्थी उक्त भूमि के खरीददार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रफीक खां का चाचा है जिसने उक्त भूमि के एक कोने पर बाड़ा व छपरा बना रखा है। उक्त बशीर खां को छपरा हटाने का रफीक खां ने कहा तो उसने नाराज होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो पेश करने का उसे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह व्यथित पक्षकार नहीं है।

सन् 1979 में विधिनुसार किये गये आवंटन/ नियमन को 40 वर्ष पश्चात् निरस्त नहीं किया जा सकता और न ही उक्त आवंटन छल/ कपट अथवा धोखाधड़ी के आधार पर करवाया गया है। विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् आवंटन/ नियमन को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को उक्त आवंटन की शुरू से ही जानकारी थी इसलिये 40 वर्ष पश्चात् पेश किया गया

आवेदन संघार्य नहीं होने से खारिज किया जाने का कथन करते हुए प्रार्थी/ अपीलांट उक्त आवेदन बेबुनियाद मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए मय हाजा खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2016–17(Supp.) पेज 304, आर.आर.टी. 2016(2)पेज 756–758, आर.आर.डी. मई, 2003 पेज 237–239, आर.आर.डी. मार्च, 2001 पेज 126–129, आर.आर.डी. 14.2.2009 पेज 99, आर.आर.डी. 14.03.2009 पेज 177 से 179, आर.आर.टी 2011(1) पेज 383–384, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 340–343, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 299 से 306 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि आवंटी को तत्समय आवंटन नियमानुसार किया गया था।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में मूल आवंटन पत्रावली भिजवाने हेतु बार–बार उपखण्ड अधिकारी नागौर, तहसीलदार नागौर व तहसीलदार मूण्डवा को लिखा गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा अपने पत्रांक कोर्ट/2018/145 दिनांक 09.04.2018 से भूमि आवंटन हेतु आयोजित सलाहकार कमेटी की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति भिजवाई गई है। उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पत्रांक–रीडर/2019/685 दिनांक 24.09.2019 से काफी तलाश के बावजूद भी मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है। उक्तानुसार कार्यवाही विवरण के अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 के पिता श्री जलालुदीन पुत्र श्री मुनीरदीन मुसलमान साकिन झुझण्डा को मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15बीघा 15 बिस्वा भूमि की किस्म मगरा के स्थान पर बारानी परिवर्तित करते हुऐ दिनांक 24.10.1979 को आवंटन की गई है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी नागौर, तहसीलदार नागौर, विकास अधिकारी मूण्डवा, नाथूराम सदस्य नगर पालिका मूण्डवा सरपंच ग्राम पंचायत थिरोद के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त आवंटन नियमानुसार पूर्ण कोरम के साथ किया गया है। उक्त आवंटन पश्चात उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या–1 के पिता जलालुदीन गैर खातेदार के नाम नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 13.11.79 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात जलालुदीन का स्वर्गवास हो जाने पर जलालुदीन के पुत्र अप्रार्थी संख्या–1 बाबू गैर खातेदार के नाम नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 08.06.2000 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात पटवारी झुझण्डा द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी के संबंध में नामान्तकरण संख्या 896 भरा गया जिसे नायब तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 31.10.2001 को आवंटन की शर्तों की पालना एवं कब्जा न होने के आधार पर नामान्तरकरण खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 बाबू पुत्र जलालूदीन द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 31.10.2001 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के यहां अपील संख्या 2/08 बाबू बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर प्रस्तुत की गई जिसे अपर कलक्टर नागौर ने उक्त आधार पर ही निर्णय दिनांक 31.03.2008 से अपील को खारिज कर दिया। तत्श्चात अप्रार्थी संख्या 1 बाबू द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) नागौर के समक्ष आर.टी.एक्ट की धारा 88, 89 के तहत प्रस्तुत किया जिस राजस्व वाद संख्या 02/2016 बाबु बनाम राजस्थान सरकार में सहायक कलक्टर (मु0) नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2016 से खातेदार सनद जारी करने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार में निहित होने के आधार पर खारिज कर दिया। इसके बाद तहसीलदार नागौर ने अपने आदेश क्रमांक 2146 दिनांक 14.10.2016 से सहायक कलक्टर(मु0) नागौर के आदेश व डिगरी दिनांक 15.07.2016 के मुताबिक व आवंटन की शर्तें पूरी करने पर वादग्रस्त खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा बारानी–2 मौजा झुझण्डा का गैर खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 बाबू पुत्र जलालुदीन को खातेदार घोषित कर दिया एवं राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने के निर्देश दिये गये। नियमानुसार आवंटी को 10 वर्ष पश्चात उसे आवंटित भूमि का गैर खातेदार से खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जलालुदीन को आवंटन वर्ष 1979 में हुआ था और नियमानुसार 10 वर्ष पश्चात अर्थात वर्ष 1989 के बाद जलालुदीन को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार से खातेदार क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में भी कोई ठोस आधार रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन संख्या 896 का अवलोकन से स्पष्ट है कि सवंत् 2040, 2041, 2044 व 2055 में वादग्रस्त भूमि पर काश्त दर्ज है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के संबंध में कोई ठोस महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है यथा–रूबरू मौतबिरान मौका रिपोर्ट आदि। हस्तगत प्रकरण में आवंटन वर्ष 1979 में अप्रार्थी संख्या–1 बाबू के पिता को किया गया है, एवं

अप्रार्थी संख्या 1 बाबू को खातेदार दर्ज करने का भी तहसीलदार नागौर द्वारा आदेश पारित कर दिया है। आवंटी द्वारा आवंटन तथ्य छुपाते, कपट अथवा दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया हो, इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी–1 बाबू द्वारा अपर कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील में कथन किया है कि उसके पिता जलालुदीन का देहान्त अप्रार्थी संख्या 1 बाबू की 5 वर्ष की आयू में हो गया था तथा उसकी माता का देहान्त भी पिता से पूर्व हो चुका था, ऐसी स्थिति में तत्समय अप्रार्थी संख्या–1 बाबू द्वारा कास्त किया जाना संभव भी नहीं है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन के लगभग 37 वर्ष हस्तगत आवेदन पत्र आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नहीं है। इतनी लम्बी अवधि के बाद एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन को निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. मई,2003 पेज–237 में उल्लेख है कि–*"आर.बी.जे.1955(2)पेज 780में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14(4) लागू नहीं होता है एवं इसके तहत आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार मिल जाते है।"* आर.आर.डी. मई,2001 पेज–126 में उल्लेख है कि–*"आर. बी.जे.(6)1999 पेज 412 पर उद्धत पूर्व निर्णय अन्नाराम बनाम सरकार में यह व्यवस्था दी गई है कि 25 वर्ष के पश्चात आवंटन निरस्त कर के आवंटी को उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल किया जाना न्याय के विपरित होगा। उसी निर्णय में 1994 एससीसी पेज–575 तेजसिंह बनाम राज्य सरकार का उद्धरण भी दिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि यद्यपि तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त किया गया आवंटन रदद् किया जाना सही था, परन्तु फिर भी लगभग 2 दशक से ज्यादा अवधि के पश्चात आवंटन रदद किया जाना उचित नहीं ठहराया गया था"*

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भी अब अप्रार्थी संख्या–1 बाबू के पिता जलालुदीन को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना मेरे मत में उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मूण्डवा / नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:53:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: